सं०सं०—9 / आ०—03—65 / 2024

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

!!संकल्प!!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि **डॉ० उपेन्द्र चौधरी, चिकित्सा पदाधिकारी, शहरी परिवार कल्याण केन्द्र, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत** के विरूद्ध मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत अंधापन उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गैर सरकारी संगठन के द्वारा मोतियाबिन्द के ऑपरेशन हेतु मरीज से पैसा वसुल करने के साथ—साथ राज्य सरकार से अनुदान स्वरूप राशि प्राप्त करने के मामलें में सतर्कता नहीं बरतने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। NGO द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेख की सम्यक् समीक्षा नहीं करने एवं मरीज को दूरभाष पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं करने एवं NGO द्वारा ऑपरेशन किए जाने वाले अस्पताल में बुनियादी सुविधा का अभाव रहने के बावजूद NGO के विपत्र का भुगतान करने का अनुशंसा करने का आरोप जैसा कि आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने संकल्प किया है कि उक्त **डॉ० चौधरी** के विरूद्ध अनुबंध में वर्णित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—17 एवं बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम—43(बी0) के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—17 के अधीन **डॉ० अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** को संचालन पदाधिकारी तथा **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. **डॉ० चौधरी** से यह अपेक्षा की जाती है कि वें संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, स्वयं उपस्थित हो।

4. इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की सहमति प्राप्त है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प एक प्रति संचालन पदाधिकारी / उपस्थापन पदाधिकारी / आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह० / —
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः—9 / आ०—03—65 / 2024(स्वा0) 236(9) / **पटना, दिनांक :** 18 . 3 . 25

प्रतिलिपिः—आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित **डॉ० अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जॉच कर अधिगम एक माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगें।

प्रतिलिपिः—आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (उपस्थापन पदाधिकारी)** को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— डॉ० उपेन्द्र चौधरी, चिकित्सा पदाधिकारी, शहरी परिवार कल्याण केन्द्र, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत। वर्तमान पता— बी 14, प्रोफेसर कॉलोनी, अघोरिया बाजार, पो0—रमना, वार्ड—29, मुजफ्फरपुर पिनकोड—842002 मो० नं०—9934709143 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि आरोपित पदाधिकारी को तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

18/03/2025

सरकार के अवर सचिव।